150

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय, जयपुर

क्रमांकः–एफ–4 / वित्त / मु0 / प्रि.प्रेस / 2020 / 1838 दिनांक 20-3-20

मैसर्स.................................

....

....

विषयः–निगम मुद्रणलय जयपुर में जिंक ब्लॉक्स, नायलों ब्लॉक्स व आफॅसेट प्लेट हेतु सीमित बोली ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम प्रिटिंग प्रेस, मुख्यालय, जयपुर के लिए वर्ष 2020–21 (एक वर्ष) के लिए जिंक ब्लॉक्स, नायलों ब्लॉक्स व आफॅसेट प्लेट बनाने हेतु निर्धारित प्रपत्र (संलग्न है) में दरे आमंत्रित की जा रही है । बोली के सम्बन्ध में नियम एवं शर्ते संलग्न है ।

अतः बोली प्रस्ताव संलग्न प्रपत्र में दिनांक 27.03.2020 समय सांय 15.00 बजे तक निम्नहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में प्रस्तुत करें। प्राप्त बोलियॉ दिनांक 27.03.2020 को ही सांय 15.30 बजे खोली जावेगी।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

महा प्रबन्धक (वित्त)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर

राजस्थान परिवहन निगम मुद्रणालय जयपुर में जिंक ब्लाक्स, नायलो ब्लाक्स एवं ऑफ सैट प्लेट बनाने हेतु सीमित बोली।

1. सीमित बोली क्रमांक एफ–4/वित्त/मु./प्रि.प्रे./2020/
   दिनांक–
2. बोली देने वाली फर्म का नाम व पता————————————
   ——————————————————————————————
   ——————————————————————————————।
3. फर्म का स्वरूप एकल/पार्टनरशिप/कम्पनी।
4. फर्म का राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के तहत पंजीयन संख्या (यदि लागू हो तो):–
5. बोली के साथ जी.एस.टी. नंबर की प्रति, यदि है तो प्रस्तुत करें।
6. मै......................................(प्रोपराईटर/पार्टनर/मैनेजर) जारी की गई बोली प्रपत्र में वर्णित सभी नियमो एवं शर्तो (जिन पर स्वीकार करने के हस्ताक्षर किये हुए है।) मानने के लिये बाध्य हूॅं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुद्रणालय, जयपुर

वर्ष 2020–21 (एक वर्ष) हेतु सीमित बोली के तहत दर संविदा विवरण पत्र :–

क0स0	सामान का नाम	साईज	दर अकों व शब्दो में
1	नॉयलों ब्लॉक्स बनाना (विभिन्न साईज में)	अधिकतम 24"x 24 "	...........रू0 प्रति स्क्वायर इंच ( )
2	जिंक ब्लॉक्स बनाना (विभिन्न साईज में)	अधिकतम 20"x 30 "	...........रू0 प्रति स्क्वायर इंच ( )
3	मुद्रण कार्य हेतु प्रथम ऑफसेट प्लेट बनाना एवं आपूर्ति करना	(1) 11 " X 13 " (2) 21 " X 25 "	........रू0 प्रति प्लेट ( ) ....रू0 प्रति प्लेट ( )
4	एक ही मुद्रण कार्य की दूसरी प्लेट बनाना एवं आपूर्ति करना	(1) 11 " X 13 " (2) 21 " X 25 "	..........रू0 प्रति प्लेट ( ) ....रू0 प्रति प्लेट ( )

महा प्रबन्धक (वित्त)

बोलीदाता के हस्ताक्षर

बोली के नियम व शर्ते

1– नॉयलों ब्लॉक्स, जिंक ब्लॉक्स एवं ऑफसेट प्लेट तैयार करने हेतु प्रारूप निगम मुद्रणालय परिवहन मार्ग, जयपुर से प्राप्त करना होगा तथा नायलों ब्लॉक्स,जिंक ब्लॉक्स व आफसेट प्लेट की आपूर्ति आवश्यकतानुसार निगम मुद्रणालय, परिवहन मार्ग जयपुर में करनी होगी

2– दरों की वैद्यता कम से कम एक वर्ष के लिये मान्य होगी जिसको आपसी सहमति से छः माह के लिए बढाया जा सकता है एवं दरों में कोई कर/जीएसटी अतिरिक्त देय हो तो स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा ।

3– सामान की मात्रा को घटाया/बढाया जा सकता हैं ।

4– सुरक्षा राशि के रूप में 5000/– रूपये सफल निविदादाता को निगम में जमा कराना आवश्यक होगा ।

5– बोली के लिफाफे पर "बोली प्रिटिंग मशीन के नॉयलो ब्लॉक्स, जिंक ब्लॉक्स एवं ऑफसेट प्लेट बनाना " अंकित करना आवश्यक होगा ।

6– सामान की दरें निर्धारित बोली प्रपत्र में स्पष्टं एवं बिना कांट–छांट के अंकों एवं शब्दों में अंकित करें । सशर्त बोली स्वीकार नहीं होगी ।

7– आपूर्ति में असफल होने या बोली शर्तो एवं आदेश में वर्णित शर्तो की पालना नहीं की जाने पर आदेश / अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार निगम को होगा एवं फर्म द्वारा जमा कराई गयी सुरक्षा राशि जप्त की जा सकेगी तथा अन्य फर्म/स्त्रोत से बोलीदाता की रिस्क व कोस्ट पर कार्य कराने हेतु निगम स्वतन्त्र होगा।जिसके लिये यदि निगम द्वारा किसी राशि का अधिक भुगतान किया जाता है तो अधिक भुगतान राशि फर्म से वसूली योग्य होगी जो कि फर्म के बकाया भुगतान अथवा अन्य कोई जमा राशि से वसूल की जा सकेगी । वसूली बकाया रहने पर कानूनी कार्यवाही कर निगम वसूल कर सकेगा ।

8– तैयार नायलों ब्लॉक्स, जिंक ब्लॉक्स व आर्फसेट प्लेट की आपूर्ति सैम्पल अनुसार करनी होगी । सैम्पल अनुसार आपूर्ति नहीं करने पर आपूर्ति मान्य नहीं होगी तथा पुनः निर्धारित समय में तैयार कर आपूर्ति करनी होगी ।

9– तैयार नायलों ब्लॉक्स, जिंक ब्लॉक्स एवं ऑफसेट प्लेट की आपूर्ति कार्य आदेश दिनांक से 10 दिवस में करनी होगी अन्यथा निम्नानुसार पैनल्टी देय होगी :–

अ– दो दिवस की देरी तक 2.5 प्रतिशत

ब– तीन से चार दिवस की देरी तक 5 प्रतिशत

स– पॉच से छः दिवस की देरी तक 7.5 प्रतिशत

द– सात दिवस से अधिक देरी पर 10 प्रतिशत

10– निगम का किसी भी बोली को स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा ।

11– निगम द्वारा प्रस्तावित बोली /अनुबन्ध के कियान्वन, शर्तो एवं विवेचना के संबंध में बोलीदाता से किसी प्रकार का विवाद होने पर, विवाद के निवटारे हेतु सर्वप्रथम निगम के आदेश क्रमांक मुख्या/विधि/सामान्य/17/781 दिनांक 03.10.2017 के द्वारा गठित स्टेण्डिग कमेटी के सदस्य सचिव के स्तर पर पदस्थापित अधिकारी द्वारा विवाद संबंधी प्रार्थना पत्र विवाद के मूल्यांकन की 2 प्रतिशत फीस सहित प्राप्त होने पर विवाद कमेटी के समक्ष रखा जावेगा। कमेटी द्वारा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत क्लेम एवं दस्तावेजों के आधार पर सुनवाई के उपरांत आदेश पारित किया जावेगा, जिसकी सूचना सदस्य सचिव द्वारा दोनो पक्षों को भेजी जावेगी।

12– किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा ।

महा प्रबन्धक (वित्त)

बोलीदाता के हस्ताक्षर